Crop Weather Watch Group Advisory

U.P. Council of Agricultural Research, Lucknow

मौसम आधारित राज्य स्तरीय कृषि परामर्श समूह (क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप) की तेईसवीं बैठक की संस्तुतियाँ

दिनॉक : 4 अक्टूबर, 2017

समय : 12.00 बजे

स्थान : उपकार सभाकक्ष

मौसम आधारित राज्य स्तरीय कृषि परामर्श समूह की वर्ष 2017 की तेईसवीं बैठक प्रो. राजेन्द्र कुमार, महानिदेशक, उ.प्र. कृषि अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता में दिनॉक 04 अक्टूबर, 2017 को उ.प्र. कृषि अनुसंधान परिषद के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर के मौसम वैज्ञानिक, तिलहन वैज्ञानिक व कीट वैज्ञानिक, कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद के दलहन वैज्ञानिक, मत्स्य विभाग, वन विभाग, रेशम विभाग, रिमोट सेन्सिग एप्लीकेशन सेण्टर, लखनऊ एवं परिषद के अधिकारियों/वैज्ञानिकों ने भाग लिया।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान एवं उपग्रह से प्राप्त चित्रों के विश्लेषण के अनुसार (दिनॉक 04–10 अक्टूबर, 2017 तक) उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में इस सप्ताह प्रथम दो दिनों तक छुटपुट बदली तथा बुन्देलखण्ड, विन्ध्य जलवायुविक व पूर्वी उत्तर प्रदेश में मध्यम से घने बादल (दिनॉक 06–08 अक्टूबर) छाये रहने की सम्भावना है। प्रदेश के **जलवायुविक भाबर एवं तराई क्षेत्र** में स्थित खीरी, रामपुर, शाहजहॉपुर, बिजनौर, बहराइच, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, बरेली जनपदों में वर्षा की सम्भावना नहीं है किन्तु दिनांक 06 अक्टूबर, 2017 को जनपद श्रावस्ती में स्थानीय स्तर पर छुटपुट वर्षा की संभावना है। **पश्चिमी मैदानी जलवायुविक क्षेत्र** के जनपद मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा, बुलन्दशहर में सप्ताह के अन्तिम दिनों में छुटपुट बदली दिखाई देने किन्तु वर्षा की संभावना नहीं है। इसी प्रकार **मध्य पश्चिमी मैदानी जलवायुविक क्षेत्र** यथा बिजनौर, ज्योतिबाफूले नगर, मुरादाबाद, बरेली, रामपुर, बदॉयू, पीलीभीत आदि जनपदों में इस सप्ताह छुटपुट बदली के अतिरिक्त वर्षा की संभावनाएं नहीं है। **दक्षिणी–पश्चिमी अर्ध–शुष्क क्षेत्र** के जनपदों अलीगढ़, एटा, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद एवं मैनपुरी में इस सप्ताह वर्षा के आसार नहीं है। **मध्य मैदानी क्षेत्र** के जनपदों यथा शाहजहॉपुर, फर्रूखाबाद, कन्नौज, कौशाम्बी, हरदोई, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर एवं लखीमपुर खीरी इत्यादि जनपदों में वर्षा की संभावना नहीं है किन्तु इस क्षेत्र के जनपद इलाहाबाद, कौशाम्बी एवं फतेहपुर में स्थानीय स्तर पर छुटपुट वर्षा दिनांक 06–07 अक्टूबर में होने की संभावना है। **बुन्देलखण्ड क्षेत्र** के जनपदों झॉसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बॉदा जनपदों में वर्षा के आसार नहीं है किन्तु चित्रकूट जनपद में छुटपुट से हल्की वर्षा स्थानीय स्तर पर होने की संभावना है। **उत्तरी–पूर्वी मैदानी क्षेत्र** के जनपदों यथा श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच में इस सप्ताह हल्के से मध्यम बादल बरकरार रहने किन्तु वर्षा की सम्भावना कम है वहीं बस्ती संतकबीरनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर एवं देवरिया जनपदों में स्थानीय स्तर पर छुटपुट वर्षा दिनांक 06 एवं 07 अक्टूबर में होने के आसार है। इसी प्रकार **पूर्वी मैदानी क्षेत्र** के जनपदों यथा बाराबंकी, गाजीपुर, चन्दौली, सुल्तानपुर, आजमगढ़, फैजाबाद, जौनपुर, अम्बेडकरनगर, वाराणसी मऊ एवं बलिया में स्थानीय स्तर पर छुटपुट से हल्की वर्षा तथा **विंध्यांचल जलवायुविक क्षेत्र** के जनपदों यथा सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही एवं सन्त रविदास नगर में इस सप्ताह दिनांक 06, 07 एवं 08 अक्टूबर में छुटपुट से हल्की वर्षा होने की संभावना है।

इस सप्ताह प्रदेश के भाबर एवं तराई क्षेत्र और पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के जनपदों में अधिकतम तापमान 29–31 डिग्री सेन्टीग्रेट एवं न्यूनतम तापक्रम 20–23 डिग्री सेन्टीग्रेट के मध्य रहने के असार है जो सामान्य है। मध्य–पश्चिमी मैदानी जलवायुविक क्षेत्र, दक्षिणी–पश्चिमी अर्ध शुष्क क्षेत्र, मध्य मैदानी क्षेत्र, बुंदेलखण्ड, उत्तरी–पूर्वी, पूर्वी मैदानी क्षेत्र एवं विंध्य क्षेत्र आदि क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेन्टीग्रेट एवं न्यूनतम तापमान 22 से 25 डिग्री सेन्टीग्रेट के मध्य रहने के असार है जो सामान्य से 01 से 02 डिग्री सेन्टीग्रेट से अधिक है।

इस सप्ताह प्रदेश के लगभग सभी जलवायुविक क्षेत्रों में प्रमुखतया हवाएं उत्तर–पूर्वी और दक्षिण–पूर्वी हवाएं 02–09 किमी/घण्टे की औसत गति से चलने के आसार है जो सामान्य से 02–03 किमी/घण्टा इस सप्ताह की औसत गति से अधिक है। इस सप्ताह प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में प्रातःकालीन सापेक्षिक आर्द्रता 75–90 प्रतिशत व दोपहर के वक्त 48–58 प्रतिशत रहने के आसार है। वहीं प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में प्रातःकालीन आर्द्रता 65–75 प्रतिशत व दोपहर के वक्त 35–45 से प्रतिशत रहने की संभावना है। कुल मिलाकर यह सप्ताह पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों को छोड़कर शुष्क रहने के आसार है।

कृषि निदेशालय, उ.प्र. से दिनांक 02 अक्टूबर, 2017 तक प्राप्त वर्षा आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में 01 जून से 02 अक्टूबर तक प्रदेश की सामान्य वर्षा 832.1 मिमी. के सापेक्ष 586.5 मिमी. वर्षा प्राप्त हुई है जो सामान्य वर्षा का 70.5 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रवार वर्षा का वितरण इस प्रकार रहा– पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सामान्य वर्षा 702.0 मिमी. के सापेक्ष 527.0 मिमी. प्राप्त हुई जो सामान्य वर्षा का 75.1 प्रतिशत है। मध्य उत्तर प्रदेश की सामान्य वर्षा 809.3 मिमी. के सापेक्ष 579.9 मिमी. प्राप्त हुई, जो सामान्य वर्षा का 71.7 प्रतिशत है एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र की सामान्य वर्षा 792.8 मिमी. के सापेक्ष 494.6 मिमी.

प्राप्त हुई जो सामान्य वर्षा का 62.4 प्रतिशत है तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश की सामान्य वर्षा 969.3 मिमी. के सापेक्ष 675.3 मिमी. प्राप्त हुई जो सामान्य वर्षा का 69.7 प्रतिशत है। अतः प्रदेश में फसल एवं मौसम के परिप्रेक्ष्य में किसानों को निम्नलिखित सुझाव दिये जाते हैं:–

- आगामी सप्ताह में मौसम रोग एवं कीटों के लिये अनुकूल है अतः फसलों की निगरानी करते रहें। कीट नियंत्रण हेतु पर्यावरण हितैषी उपायों यथा प्रकाश–प्रपंच, बर्ड पर्चर, फेरोमोन ट्रैप, ट्राइकोग्रामा तथा रोग नियंत्रण हेतु ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करें। कीट एवं रोग नियंत्रण हेतु कीटनाशी रसायनों का प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में करें।
- कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जहाँ खरीफ फसलें नष्ट हो गई हैं वहाँ इसकी भरपाई के लिये अगेती रबी फसलों की तैयारी करें।
- कम वर्षा वाले क्षेत्रों में खाद्यान्न, दलहनी एवं तिलहनी फसलों में जीवन रक्षक सिंचाई कर नमी बनाये रखें। नमी संरक्षण तथा जल प्रबन्धन की क्रियायें अपनायी जाएं।
- धान की देर से रोपित फसल में सूखा के प्रति सहनशीलता बढ़ाने के लिए 2 प्रतिशत यूरिया व पोटाश का छिड़काव करें।
- धान में फूल खिलने व दुग्धावस्था में पर्याप्त नमी प्रत्येक दशा में बनाये रखें।
- सब्जी उत्पादकों को सलाह दी जाती है कि वे अल्प अवधि एवं कम पानी में भी अच्छी उपज प्राप्ति हेतु पालक, मूली, गाजर, शलजम, चुकन्दर, मेथी व धनिया आदि की खेती करें।
- कृषि विभाग द्वारा चलायी जा रही पारदर्शी किसान योजना के अंतर्गत कृषि निवेश, कृषि यंत्र, बीज, कृषि रसायनों को प्राप्त करने हेतु अपना रजिस्ट्रेशन कराएँ। किसान कृषि विभाग की वेबसाइट www.upagriculture.com पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
- रबी फसलों के बीमा के लिये कृषि विभाग के अधिकारियों या ब्लॉक स्तर के अधिकारियों से सम्पर्क करें।
- रबी फसलों की बुवाई के लिये शुद्ध एवं प्रमाणित बीज का ही प्रयोग करें।
- आलू की फसल की बुआई प्राथमिकता के आधार पर करें।
- उद्यान विभाग औषधि व मसाले की फसलों को बढ़ावा देने के लिये अनुदान दे रहा है। अतः जो कृषक इनकी खेती करना चाहते हैं वह जिला उद्यान अधिकारी से सम्पर्क करें।
- किसान इफको के किसी भी सेन्टर पर निम्बोली 15 रूपये प्रति किलो की दर से बेच सकते है। इसके लिए कृषक इफको की हेल्पलाइन 534351 पर संपर्क कर सकते है।

धान की खेती

- देर से बोये गये धान में बाली बनते समय नत्रजन की चौथाई मात्रा यूरिया से टॉप ड्रेसिंग करें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करते समय खेत में पर्याप्त नमी उपलब्ध हो।
- जिन कृषकों ने बीज के लिये धान की फसल ली है उन्हें सलाह दी जाती है कि वह खेत से अवांछित पौधों को हटा (रोगिंग) दें।
- धान में भूरा धब्बा एवं झोंका रोग की रोकथाम हेतु एडीफेनफॉस 50 प्रतिशत ई.सी. 500 मिली. अथवा मैंकोजेब 75 प्रतिशत डब्लू. पी. 2.0 किग्रा. अथवा जिनेब 75 प्रतिशत डब्लू.पी. 2.0 किग्रा. प्रति हे. 500–750 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।
- गंधी कीट बाली की दुग्धावस्था में तथा सैनिक कीट बाली की परिपक्वता अवस्था में लगता है। गंधी कीट 1–2 कीट प्रति पुंज तथा सैनिक कीट की 4–5 सूड़ी प्रति वर्ग मी. दिखाई देने पर मिथाइल पैराथियान 2 प्रतिशत धूल 20–25 किग्रा. अथवा मैलाथियान 5 प्रतिशत धूल 20–25 किग्रा. अथवा फेनबैलरेट 0.04 प्रतिशत धूल 20–25 किग्रा. का प्रति हे. की दर से सुबह के समय बुरकाव करें।
- देर से रोपित धान में हरा, भूरा एवं सफेद पीठ वाला फुदका के नियन्त्रण हेतु एसिडामिप्रिट 20 प्रतिशत एस.पी. 100 ग्राम अथवा कार्बोफ्यूरान 3 जी. 20 किग्रा. (3–5 से.मी. स्थिर पानी में) अथवा मोनोक्रोटोफास 36 प्रतिशत एस.एल. 750 मिली. प्रति हे. की दर से 500–600 ली. पानी में घोलकर छिड़काव करें।
- दीमक के नियंत्रण हेतु क्लोरपायरीफास 20 प्रतिशत ई.सी. 2.5 ली. प्रति हे. की दर से सिंचाई के पानी के साथ प्रयोग करें। केवल जड़ की सूड़ी का प्रकोप होने पर नियंत्रण हेतु फोरेट 10जी 10 किग्रा. 3–5 सेमी. स्थिर पानी में बुरकाव करें।
- तना बेधक कीट के नियन्त्रण हेतु कार्बोफ्यूरान 3 जी 20 किग्रा. अथवा कारटॉप हाइड्रोक्लोराइड 4 जी 18 किग्रा. 3–5 सेमी. स्थिर पानी में बुरकाव करें अथवा क्लोरपाइरीफास 20 प्रतिशत को प्रति हे. 500–600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें।

गेहूँ की खेती

- गेहूँ की असिंचित दशा में बुआई का समय अक्टूबर का द्वितीय पक्ष है अतः गेहूँ की क्षेत्रवार संस्तुत प्रजातियों के–9644, एच.डी. –2888, मंदाकिनी (के–9351), गोमती (के–9485) व इन्द्रा (के–8962) तथा ऊसर भूमि हेतु के.आर.एल.–210 व के.आर.एल. –213 के बीज की व्यवस्था करें।
- असिंचित दशा में कठिया (ड्यूरम) गेहूँ की संस्तुत प्रजातियों अरनेज 9–30–1, मेघदूत, विजया यलो जे.यू.–12, जी.डब्लू–2, एच.

डी.–4672, सुजाता तथा एच.आई.–8627 के बीज की व्यवस्था करें। इसकी बुआई का समय अक्टूबर का अन्तिम सप्ताह है।

- यदि बीज शोधित न हो तो अनावृत कण्डुआ एवं करनाल बन्ट के नियंत्रण हेतु थीरम 75 प्रतिशत डब्लू.एस.की 2.5 ग्राम अथवा कार्बेन्डाजिम 50 प्रतिशत डब्लू.पी. की 2.5 ग्राम अथवा कार्बाक्सिन 75 प्रतिशत डब्लू.पी. की 2.0 ग्राम अथवा टेबूकोनाजोल 2 प्रतिशत डी.एस. की 1.0 ग्राम प्रति किग्रा. बीज की दर से बीज शोधन कर बुआई करना चाहिए।
- भूमि जनित एवं बीज जनित रोगों के नियन्त्रण हेतु बायोपेस्टीसाइड (जैव कवकनाशी) ट्राईकाडर्मा विरडी 1 प्रतिशत डब्लू.पी. अथवा ट्राइकोडर्मा हारजिएनम 2 प्रतिशत डब्लू.पी. की 2.5 किग्रा. प्रति हे. 60–75 किग्रा. सड़ी हुई गोबर की खाद में मिलाकर हल्के पानी का छींटा देकर 8–10 दिन तक छाया में रखने के उपरान्त बुआई से पूर्व आखिरी जुताई पर भूमि में मिला देने से अनावृत्त कण्डुआ, करनाल बन्ट आदि रोगों के प्रबन्ध में सहायता मिलती है।
- गेहूँ की बुवाई से पहले जमाव प्रतिशत अवश्य देख लें। राजकीय अनुसंधान केन्द्रों, कृषि विश्वविद्यालयों पर यह सुविधा उपलब्ध है। यदि बीज अंकुरण क्षमता 85 प्रतिशत से कम हो तो उसी के अनुसार बीज की दर बढ़ा लें तथा यदि बीज प्रमाणित न हो तो उसका शोधन अवश्य करें, साथ ही बीजों को एजेटोबैक्टर व पी.एस.बी. से उपचारित कर बुवाई करें।

जौ की खेती

- असिंचित दशा में जौ की खेती का समय 20 अक्टूबर है अतः जौ की उन्नतिशील छिलका युक्त प्रजातियों यथा आजाद (के–125), के–141, हरितमा (के.–560), लखन (के–226), के–603, एन.डी.बी.–1173 तथा छिलका रहित प्रजाति गीतांजली (के–1149) के बीज की व्यवस्था करें। असिंचित दशा में प्रति हेक्टेयर 100 किग्रा. बीज की आवश्यकता होगी। भूमि व बीज शोधन गेहूँ की भाँति करें।

मक्का की खेती

- रबी मक्का की संकर प्रजातियों यथा पी.एम.एच.–3, एच.क्यू.पी.एम.–1, सीडटेक–2324, शक्तिमान–1, बुलन्द संकुल मक्का की किस्मों शरदमणी, शक्ति–1 लावा हेतु पर्ल–पॉपकॉर्न, मीठी मक्का की प्रिया स्वीट कॉर्न व माधुरी स्वीट कॉर्न तथा शिशु मक्का हेतु एच.एम.–4 आजाद कमल (संकुल) व प्रकाश प्रजातियों के बीज की व्यवस्था करें ताकि 15 अक्टूबर से बुआई की जा सके।

दलहनी फसलों की खेती

- दलहनी फसलों के बीज शोधित एवं उपचारित न होने की स्थिति में राइजोबियम कल्चर तथा पी.एस.बी. से उपचारित करने के बाद ही बुवाई करें। 100 कि.ग्रा. डी.ए.पी. के साथ 20 कि.ग्रा. गंधक प्रति हे. की दर से बुवाई के समय प्रयोग करें।
- चना की सम्पूर्ण उ.प्र. हेतु देशी संस्तुत प्रजातियों यथा अवरोधी, पूसा–256, के.डब्लू.आर.–108, डी.सी.पी. 92–3, के.डी.जी. –1168, पूर्वी उ.प्र. हेतु संस्तुत प्रजाति गुजरात चना–4, मैदानी क्षेत्रों हेतु के–850, पश्चिमी उ.प्र. हेतु आधार (आर.एस.जी. –963), डब्लू.सी.जी.–1 तथा बुन्देलखण्ड हेतु संस्तुत प्रजातियों राधे व जे.जी.–16 तथा काबुली चना की सम्पूर्ण उ.प्र. हेतु संस्तुत प्रजाति एच.के–94–134 पूर्वी उ.प्र. हेतु पूसा–1003, पश्चिम उ.प्र. हेतु चमत्कार (वी.जी.–1053) तथा बुन्देलखण्ड हेतु संस्तुत जे. जी.के.–1, उज्जवल व शुभ्रा प्रजातियों के बीज की व्यवस्था करें।
- मटर की सम्पूर्ण उ.प्र. हेतु संस्तुत प्रजातियों जैसे–रचना, मालवीय मटर–15, सपना (के.पी.एम.आर.–144–1), पूर्वी उ.प्र. हेतु संस्तुत प्रजातियों मालवीय मटर–2, पालथी मटर, पूसा प्रभात, पश्चिमी उ.प्र. हेतु जय (के.पी.एम.आर–522), हरियाल, पंत पी–42, अमन (2009), मध्य उत्तर प्रदेश हेतु संस्तुत प्रजातियों इन्द्र (के.पी.एम.आर.–400) तथा बुन्देलखण्ड हेतु जे.पी.–885, आदर्श (आई.पी.एफ.–99–15), विकास (आई.पी.एफ.डी. 99–13), प्रकाश आदि प्रजातियों के बीज की व्यवस्था करें।
- मसूर की सम्पूर्ण उ.प्र. हेतु संस्तुत प्रजातियों यथा नरेन्द्र मसूर–1, डी.पी.एल.–62, पंत मसूर–5, एल.–4076, के–75, एच.यू. एल.–57, शेखर–3, शेखर–2, पूर्वी उ.प्र. हेतु के.एल.एस.–218 पश्चिमी उ.प्र. हेतु आई.पी.एल.–406 मैदानी क्षेत्रों हेतु पन्त मसूर–4, डी.पी.एल.–15, पूसा वैभव तथा बुन्देलखण्ड हेतु संस्तुत प्रजाति आई.पी.एल.–81, आई.पी.एल.–316 के बीज की व्यवस्था करें।
- रबी राजमा की क्षेत्रीय संस्तुत प्रजातियों यथा पी.डी.आर.–14, मालवीय–137, बी.एल.–63, उत्कर्ष, अम्बर व अरूण के बीज की व्यवस्था करें।
- अरहर की शीघ्र पकने वाली प्रजातियों में फूल बनते समय कीटों का प्रकोप होने पर बी.टी. 5 प्रतिशत डब्लू.पी. 1.5 कि.ग्रा. अथवा इन्डाक्साकार्ब 14.5 एस.सी. 400 मि.ली. अथवा क्यूनालफास 25 ई.सी. 1.50 ली. अथवा फेनवेलरेट 20 ई.सी. 750 मि.ली. अथवा साइपरमेथ्रिन 10 ई.सी. 750 मि.ली. अथवा डेकामेथ्रिन 2.8 ई.सी. 450 मि.ली. का प्रति हे. की दर से 800–1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें।

तिलहनी फसलों की खेती

- राई/सरसों की सिंचित क्षेत्रों के लिये संस्तुत प्रजातियों यथा नरेन्द्र अगेती राई–4, रोहिणी, माया, उर्वशी, बसंती (पीली), नरेन्द्र स्वर्णा–राई–8, नरेन्द्र राई (एन.डी.आर.–8501, असिंचित दशा में वरूणा (टी 59) एवं वैभव तथा लवणीय व क्षारीय मृदा में नरेन्द्र राई, सी.एस.–52, सी.एस.–54, सी.एस.–56 की बुआई करें।

गन्ना की खेती

- शरदकालीन गन्ना की शीघ्र पकने वाली प्रजातियों को.शा.–8436, को.शा.–88230, को.शा.–95255, को.शा.–96268, को.शा.–98231, को.से.–95436, को.से.–00235, को.से.–03234, को.से.–01235, सीं.ओ.पीं.के.–5191, सीं.ओ.एल.के.–94184 एवं को.–238 की बुवाई करें।
- जिन कृषकों का खेत खाली हो तथा उसमें पर्याप्त नमी भी हो, उसे शीघ्र तैयार कर शरदकालीन गन्ना की बुवाई करें। खेत की तैयारी करते समय उपलब्ध हो तो उसमें जैविक खाद, कम्पोस्ट, गोबर की खाद या प्रेसमेड खाद का प्रयोग अवश्य करें।
- शरदकालीन गन्ना की उत्तम प्रजातियों को.–238, को.–239, को.शा.–97261, को.शा.–96269, को.शा.–8436, को.शा.–88230, को.शा.–8432, को.से.–96286, को.से.–00235, को.से.–01235, एवं को.जे.–64 आदि की बुवाई करें। संस्तुत प्रजातियों के स्वस्थ बीज की उपलब्धता के लिये निकट के शोध संस्थान, चीनी मिल या गन्ना विकास परिषद या गन्ना पर्यवेक्षक से संपर्क करें।
- शरदकालीन गन्ने की बुवाई में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 90 से.मी. एवं कूड़े की गहराई 10 से.मी. ही रखें। गन्ने की दो पंक्तियों के मध्य उपलब्ध संसाधनों के अनुसार आलू (एक पंक्ति), लहसुन (4 पंक्ति), मटर फली (2 पंक्ति), लाही (2 पंक्ति), सौंफ, धनिया, मसूर, शरदकालीन सब्जियाँ अन्तः फसलों के रूप में लगायें।
- गन्ना बुवाई के समय मृदा परीक्षण की संस्तुतियों के अनुरूप उर्वरक प्रयोग करें। यदि परीक्षण नहीं है तो बुवाई के समय कूड़ों में 115 किग्रा. यूरिया, 132 किग्रा. डी.ए.पी., 65 किग्रा. म्यूरेट आफ पोटाश प्रति हे. का प्रयोग करें। जस्ता की कमी वाले क्षेत्रों में 25 किग्रा. जिंक सल्फेट प्रति हे. की दर से डालें।
- आई.आई.एस.आर. कटर–प्लान्टर या ट्रेन्च प्लान्टर (दोहरी पंक्ति) द्वारा गन्ना बुआई कर अच्छा जमाव व लागत में बचत प्राप्त कर सकते हैं।
- गन्ने के टुकड़ों को बावस्टिन से उपचारित करके ही बुवाई करें।
- खरपतवार नियंत्रण के लिए एट्राजीन 2 किग्रा./हे. की दर से बुवाई के तीन दिन के अन्दर स्प्रेयर (फ्लैटपैन नाजिल सहित) से छिड़काव करें।
- सफेद गिडार के प्रकोप होने पर कोरल 2 लीं./एकड़ की दर से खेतों में डालकर बुवाई करें।
- बेधक कीटों के जैविक नियंत्रण के लिये 50 हजार ट्राइकोग्रामा अंड युक्त ट्राइकोकार्ड प्रति हे. लगायें। कार्ड टुकडों में काटकर पत्तियों की निचली सतह पर नत्थी कर दें। यह कार्य 10 दिनों के अंतराल पर दोहरायें। ट्राइकोकार्ड भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, रायबरेली रोड, लखनऊ या सेंट्रल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जैविक भवन, लखनऊ से प्राप्त किये जा सकते हैं।
- नमी की कमी होने की स्थिति में आवश्यकतानुसार सिंचाई करें। नमी कम होने की स्थिति में दीमक का प्रकोप हो सकता है। दीमक नियंत्रण के लिए क्लोरपायरीफास 20 ई.सीं. (6.25 लीं./हे.) रसायन का 1500–1600 लीटर पानी में घोल बनाकर जड़ के पास छिड़काव करें।

आलू की खेती

- बुवाई के 7–10 दिन पहले शीत भण्डार से बीज आलू को बाहर निकालें। शीत भण्डारण में भण्डारित बीज में यदि अंकुर निकल आये तो उनको छॉटकर अलग कर दें। यदि शीत गृह में भण्डारण करने से पूर्व आलू उपचारित न किया गया हो तो शीतगृह से आलू निकालकर छांटने के तुरन्त बाद आलू के कन्दों को बोरिक एसिड के 3 प्रतिशत घोल से 30 मिनट तक उपचारित करके छायादार स्थान में सुखा लें। अंकुरित आलू बीज को उपचारित न करें।
- आलू की मुख्य फसल 15 अक्टूबर से लेने हेतु खेत की तैयारी तथा बीज की व्यवस्था करें। मुख्य फसल हेतु कुफरी बहार, कुफरी बादशाह, कुफरी आनन्द, कुफरी सतलज, कुफरी चिप्सोना–1, कुफरी चिप्सोना–3, कुफरी लालिमा, कुफरी सूर्या व कुफरी सदा बहार किस्में उपयुक्त हैं।
- बीज आलू उत्पादन हेतु सम्पूर्ण कन्द की बुवाई सुनिश्चित करें।

सब्जियों की खेती

- रबी सब्जियों की तैयार बेहन यथा फूलगोभी, पातगोभी, शिमला मिर्च तथा टमाटर आदि की तैयार पौध की रोपाई मेढ़ों पर यथाशीघ्र करें।
- बैंगन तथा गोभी की खड़ी फसल में 50 किग्रा. यूरिया/हे. की दर से टापड्रेसिंग करें।
- वर्तमान समय में सब्जियों पर कीड़ों का प्रकोप सर्वाधिक होता है। अतः इससे बचाव हेतु नीम आधारित उत्पादों, वर्मीवाश अथवा संस्तुति के अनुरूप जैविक कीट व रोगनाशियों का प्रयोग करें।
- मटर की मध्य एवं पछेती किस्मों यथा आजाद मटर–1, आजाद मटर–2, जवाहर मटर–83, पी.3, अर्किल आदि की बुवाई करें।
- लहसुन की उन्नतशील किस्मों यथा एग्रीफाउण्ड व्हाइट, यमुना सफेद (जी–1), यमुना सफेद–2 (जी–50), यमुना सफेद–3 (जी–282) की बुवाई करें।

- नमी सरंक्षण हेतु सब्जियों में मल्चिंग व टपक सिंचाई करें।

फलों की खेती

- आम में गुम्मा व्याधि का संक्रमण होने पर एन.ए.ए. 200 पी.पी.एम. (200 मि.ली./ली. अथवा प्लेनोफिक्स 4 मिली. /9 ली. पानी) का छिड़काव करें।
- शल्क कीट तथा शाखा गांठ कीट की रोकथाम हेतु डाईमेथिओएट 2 मिली./ली. या क्यूनालफास 2 मिली0/ली0 की दर से आवश्यकतानुसार तुड़ाई के बाद 15 दिन के अन्तराल पर प्रयोग करें।
- टैन्ट कैटरपिलर (जाला कीट) का प्रकोप होने की दशा में कार्बेरिल 4 ग्राम अथवा क्वीनालफॉस 2 मिली प्रति ली. पानी की दर से छिड़काव करें।
- उल्टा सूखा रोग (डाई बैक) से ग्रसित टहनियों की कटाई–छंटाई करें। टहनियों को हरे हिस्से से 5–8 से.मी. नीचे से काटने के बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराईड 3 ग्रा./ली. पानी की दर से 15 दिन के अंतराल पर दो छिड़काव करें। इसके प्रयोग से फोमा ब्लाइट भी रोका जा सकता है तथा इसके लिए अलग से छिड़काव की आवश्यकता नहीं होगी।
- अमरूद (6 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले पौधों) में 180 ग्रा. नत्रजन तत्व के रूप में प्रति पौधे की दर से प्रयोग करें।
- पपीते के नये बाग लगाने हेतु पौधों की रोपाई करें।

पशुपालन

- खुरपका एंव मुँहपका का टीकाकरण अभियान पशुपालन विभाग द्वारा निःशुल्क चलाया जा रहा है जिसका लाभ पशुपालक अवश्य उठायें। बकरियों को पी.पी.आर. का टीकाकरण कराएं।
- अन्तः परजीवियों के नियन्त्रण हेतु बछड़ों/शिशुओं को पिपराजीन 05 मिली. प्रति 10 किग्रा. शारीरिक भार की दर से तथा वयस्क पशुओं को डिस्टोडीन/एल्बन्डाजॉल 03 ग्राम प्रति पशु की दर से दें।
- वाह्य परजीवियों के नियन्त्रण हेतु बुटाक्स 02 मिली./ली. पानी में घोल कर छिड़काव करें।
- अन्तः तथा वाह्य परजीवियों के नियंत्रण हेतु आईवर मैट्रीन इंजेक्शन 2 मिली. पशु की चिकित्सा में लगायें।
- पशुओं को तीन माह में एक बार कृमिनाशी दवा का पान अवश्य करायें।
- रबी चारा हेतु पशुपालक स्थानीय पशुचिकित्सालय से संपर्क कर प्राप्त करें।
- वरदान, मेस्काबी, बुन्देल बरसीम तथा बी.एल.–10 प्रजाति के बरसीम बीज को 250 ग्रा. राईजोबियम कल्चर/10 किग्रा. बीज की दर से उपचारित कर बुवाई करें। बीज पशुपालन विभाग से प्राप्त कर सकते है।

मत्स्य पालन

- मौसम में बदलाव की स्थिति में तालाब का जलस्तर 5–6 फीट के मध्य बनाये रखें। संचित की हुई प्रजातियों की वृद्धि को जाल चलाकर देखते रहें।
- लगभग 2 माह में एक बार पोटेशियम परमैंगनेट का छिड़काव तालाब में कराने से आक्सीजन की मात्रा संतुलित रखने में मदद मिलती है तथा रोगों से प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है।
- जिन मत्स्य पालकों ने अभी तक मत्स्य बीज संचय नही किया है वे अपने तालाबों में 70 मिमी से बड़ी फिंगर लिंग का मत्स्य बीज संचय यथाशीघ्र कर लें।
- छोटी मछलियों को शरीर भार का 2 प्रतिशत की दर से तथा बड़ी मछलियों को शरीर भार का 01 प्रतिशत पूरक आहार प्रतिदिन दो बार दें तथा एन.पी.के. 25 किग्रा. प्रति हे./माह की दर से घोल बनाकर तालाब में छिड़काव करें ।
- माह में कम से कम एक बार जाल चलाकर मछलियों की बढ़त तथा स्वास्थ्य के बारे में जानकारी कर लेनी चाहिए।
- थाई मॉगुर एवं बिग हेड मछली पालना प्रतिबन्धित है। इनका पालन न किया जाय। अधिक जानकारी के लिए जनपद स्तर पर मत्स्य पालक विकास अभिकरण से सम्पर्क करें।

रेशम पालन

- शहतूती सेक्टर के अन्तर्गत पतझड़ फसल, 2017 हेतु रेशम कीट, कृषकों को दिनांक 5–10 अक्टूबर, 2017 के मध्य चाकी कीटपालन केन्द्रों से प्राप्त होगें। अतः कीटपालन से पूर्व कीटपालन गृह एवं उपकरणों का 2 प्रतिशत फार्मलीन एवं 5 प्रतिशत ब्लीचिंग घोल से विशुद्धकरण कराकर कीटपालन की आवश्यक तैयारियॉ पूर्ण कर लें।
- रेशम कीटों में प्रमुखतः लगने वाली ग्रेसरी/फ्लेचरी बीमारी से बचाव के लिए रेशम कीट औषधि (आर.के.ओ) का प्रयोग मोल्ट आउट होने के पश्चात किया जाये तथा मोल्ट के समय बुझा चूना/विजेता का उपयोग करें।
- टसर रेशम कीटपालन के अन्तर्गत डाबा मुख्य फसल, 2017 का कीटपालन कार्य प्रगति पर है। रेशम कीटों को स्वास्थ्यकर स्थिति बनाये रखने के लिए भोज्य वृक्षों के नीचे 1:9 के अनुपात में ब्लीचिंग पाउडर एवं बुझे चूने के मिश्रण का छिड़काव किया जाय।
- मानसून फसल, 2017 का चाकी कीटपालन कार्य प्रगति पर है, जिसके रेशम कीट दिनांक 5 अक्टूबर, 2017 से कृषकों को प्राप्त

होना शुरू हो जायेंगे। अतः रेशम कीट प्राप्त करने से पूर्व फार्मलीन/ब्लीचिंग घोल से कीटपालन गृहों एवं उपकरणों का विशुद्धीकरण करा लिया जाए।

वानिकी

- कृषि के साथ कम छाया वाले वृक्ष जैसे–पापुलर, युकेलिप्टस, सुबबूल लगायें। ऊँचे जल स्तर वाले क्षेत्रों में युकेलिप्टिस लगायें।
- राष्ट्रीय बांस मिशन के अन्तर्गत कृषक वन विभाग से सम्पर्क कर बांस लगायें।
- जो कृषक यूकेलिप्टस आदि का पौधा उगाना चाहते है वे निकटतम वनाधिकारी से बीज प्राप्त कर लें।
- कम्पोस्ट/पॉटिंग मिश्रण आवश्कतानुसार तैयार करें।
- किसान कृषि के साथ–साथ अपने खेतों में खाली पड़ी जमीन जैसे मेड़ या खेत के किनारे पर पेड़ लगाकर अपनी आय में वृद्धि कर सकते है। इससे उनकी वृक्षों से संबंधित आवश्यकताएं जैसे जलाऊ लकड़ी, फल, इमारती लकड़ी इत्यादि प्राप्त होगी। किसान उक्त के संबंध में जानकारी रेन्ज स्तर पर रेन्ज कार्यालय रेन्जर से प्राप्त की जा सकते है। इन वृक्षों की देखभाल एक से दो वर्ष तक करने की आवश्यकता होती है।

क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप की अगली बैठक दिनॉक 17 अक्टूबर, 2017 को प्रातः 12:00 बजे आयोजित की जायेगी।

नोटः

- क्राप वेदर वाच ग्रुप की बैठकों की संस्तुतियॉ वेबसाईट **www.upcaronline.org** पर भी उपलब्ध है।
- मौसम आधारित राज्य स्तरीय कृषि परामर्श समूह की संस्तुतियॉ इफ्को किसान संचार लिमिटेड के माध्यम से 9 लाख कृषकों को वॉयस एस.एम.एस. द्वारा प्रेषित की जा रही हैं।